18/2018   प्रपत्र नं. 1

18/20 आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/2/2022	अ.मा/मा 12-3-22	
13/2/22	आज मय पत्रावली स्थगन हेतु अपील पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन, बहस हेतु पत्रावली दि. 16/3/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.	
16/4/24	आज पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व शिविर लिपिक द्वारा प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष को, पक्षकार/वकीलों को सूचित किया गया। पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही में दिनांक 16/7/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादी उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाने उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नतीजा रजिस्टर में दर्ज हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

2018/00067

(1)

न्यायालय :-सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र सं0-...18.../2018

1. गंगाराम पुत्र श्री पोखर
2. बक्शाराम पुत्र श्री पोखर
3. रामसहाय पुत्र श्री पोखर
4. बलदेव पुत्र श्री पोखर

उम्र-व्यस्क, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जीवनराम पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा
2. बंशीधर पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा
3. छोटूराम पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा
5. रमकी पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
6. धन्नी पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
7. क्मली पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
8. फुली पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
9. आंची पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
10. सीता पुत्री स्व0 श्री गोविन्दा
11. राजू पुत्र स्व0 श्री शिवसहाय
12. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री शिवसहाय
13. झूमा देवी पत्नी स्व0 श्री शिवसहाय
14. घीसालाल पुत्र सेडू
15. बनवारीलाल पुत्र जवाहरलाल
16. रामकुंवार पुत्र जवाहरलाल

17. मुकेश पुत्र जवाहरलाल
18. मनभरी पत्नी जवाहरलाल
19. मंजू पुत्री जवाहरलाल
20. भागोती पुत्री जवाहरलाल
21. हंसाराम पुत्र पोखर
22. रामेश्वर पुत्र सुवालाल
23. प्रहलाद पुत्र सुवालाल
24. रामलाल पुत्र सुवालाल
25. सेडी देवी पत्नी सुवालाल
26. हरि पुत्र भगवाना
27. श्रवण पुत्र भगवाना
28. मंजू पुत्री भगवाना
29. झूंमा देवी पत्नी भगवाना

समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

--- :- अप्रार्थीगण

31. घीसाराम पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र-व्यस्क, जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 'शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

---- - तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

श्रीमान् जी,

सेवामें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि प्रार्थीगण/वादीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र आज मुदृह तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण की सफलता की पूर्ण आशा है।
2. यहकि आराजी खसरा नं0-928 रकबा 0.10, 929 रकबा 0.15, 930 रकबा 0.82, 931 रकबा 0.09, 932 रकबा 0.20, 933 रकबा 0.04, 934 रकबा 0.01, 935 रकबा 0.98, 937 रकबा 0.15, किता 9 कुल रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा पटवार हलका आनतपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी धीसा पुत्र नारायण का 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। सहखातेदार शिवसहाय फौत हो चुका है जिसके अप्रार्थी सं0-11 लगायत 13 वारिस है जिन्होने उनके हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त की है। तथा सह खातेदार तीजा देवी पत्नी गोविन्द फौत हो चुका है जिसके अप्रार्थी सं0-1 लगायत 13 वारिसान है जिन्होने मृतक तीजा के हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त की है नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता सं0-33 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्रहै।
3. यहकि प्रार्थना पत्र के जिमन नं0-2 में वर्णित आराजी को प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वादी सं0-3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि में आवास एवं कृषि पैदावार रखने के लिए पुख्ता मकानात खसरा नं0-935 में बना रखे है तथा उक्त खसरा नं0-935 में अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई के लिए व पानी पीने के लिए बोरिंग कररखा है तथा उसमें कृषि विद्युत कनेक्शन लगा रखा है तथा मकान में घरेलू विद्युत कनेक्शन ले रखा है।
4. यहकि प्रार्थना पत्र के जिमन नं0-2 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित 12 फुट चौड़ाई के रास्ते को अपनी अपनी हिस्से की भूमि व मकानात आदि में आने जाने के लिए कदीम से ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है उक्त रास्ता खसरा नं0-928, 930 के पश्चिमी हिस्से से तथा खसरा नं0-933, 930 के मध्य की सींव डोल से तथा खसरा नं0-930 व 935 के मध्य की सींव डोल से होता हुआ खसरा नं0-935 में वादी सं0-3 व 4 के मकानात तक जाता है जो वर्तमान में भी मौके पर कायम है।

5. यहकि प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण से अप्रार्थीगण का घरेलू बातो को लेकर तथा उक्त रास्ते को पक्का सड़क बनाने को लेकर मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब अप्रार्थीगण वादी एवं तरतीबी अप्रार्थी से दुर्भावना रखने लग गये है तथा सामलाती भूमि में बने उक्त रास्ते के प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में अड़चन पैदा करने लग गये है।

6. यहकि प्रार्थीगण दिनांक-15.07.2018 को अपनी हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते में अपने मकानात में जा रहे थे तब समस्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त रास्ते में जाने से रोकने लग गये तब प्रार्थीगण ने उन्हे ऐसा करने मना किया तो वे प्रार्थीगण के साथ झगडा फिसाद करने को आमादा हो गये तथा उन्हे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर प्रार्थीगण ने शांत किया तथा उन्हे वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने को कहा तो उन्होंने बंटवारा कराने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि वे प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेंगे तथा उक्त रास्ते से उन्हे आने जाने नहीं देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता।

7. यहकि यदि अप्रार्थीगण अपने मनसूबे में सफल हो गये और उन्होने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के जिमन नं0-1में वर्णित उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तथा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर देगे तो इससे प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण के हक अधिकारो का हनन होगा जिससे उन्हे अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। इस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के जिमन नं0-2 में वर्णित आराजी का मौके की कब्जे काश्त व हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने एवं अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए उक्तवाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विवचेन शपथ पत्र एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का पक्ष प्रथम दृष्ट्या में बलवान है व सुविधा का सन्तुलन व अकथनीय हानि का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि स्थानापन्न, वारिसान आदि को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे कि वे आराजी खसरा नं0-928 रकबा 0.10, 929 रकबा 0.15, 930 रकबा 0.82, 931 रकबा 0.09, 932 रकबा 0.20, 933 रकबा 0.04, 934 रकबा 0.01, 935 रकबा 0.98, 937 रकबा 0.15, किता-9 कुल रकबा 2.54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा पटवार हल्का जगतपुरा तह0 'शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थी को उनके कब्जे व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे तथा उनके उपयोग

उपभोग मेंकोई बाधा कारित नहीं करे तथा तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नकशे में लाल रंग से प्रदर्शित 12 फुट चौडे रास्ते के उपयोग उपभोग मेंकोई बाधा कारित नहीं करे; न करावे / आराजी मुतनाजा व उसमें बने रास्ते की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

दिनांक...19-7-2018

स्थान–शाहपुरा, (जयपुर) **प्रार्थीगण**

(1) गंगाराम पुत्र [illegible] श्री पोखर

(2) बक्शाराम पुत्र [illegible] श्री पोखर

(3) रामसहाय पुत्र [illegible] श्री पोखर

(4) बलदेव पुत्र [illegible] श्री पोखर जाति जाट, निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

बक्शाराम

गंगाराम जाट